संख्याः 1579 /VII-1/158–ख/04टीसी–II

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2016**

विषयः खनिजों के अभिवहन हेतु ई–रवन्ना पद्धति लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15(1) के अधीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–70 में खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र **एम०एम०–11** का निर्धारण किया गया है। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियम–5 में अभिवहन पास जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के उप नियम (2) में खनिजो के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए **प्रपत्र–जे** में अभिवहन जारी करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु प्रपत्र एम०एम०–11 एवं प्रपत्र–जे मैनुअल विधि से जारी किये जाते रहे हैं।

2– उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में खनन व्यवसायियों को खनिजों के अभिवहन पास/रवन्ना प्राप्त करने हेतु सुगमता, खनिजों के विदोहन, अभिवहन एवं विपणन के आंकड़ों व राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से शासन द्वारा खनिजों के अभिवहन हेतु ई–रवन्ना पद्धति लागू किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। ई–रवन्ना पद्धति लागू किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना सं० 1560/VII-1/2016/158–ख/04टीसी दिनांक 30 सितम्बर, 2016 एवं अधिसूचना सं० 1576/VII-1/2016/158–ख/04टीसी दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (मूल नियमावली) में अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये गये हैं। इस संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के अभिवहन हेतु प्रपत्र एम०एम०–11 के स्थान पर खनिजों के राज्य क्षेत्रान्तर्गत अभिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा भण्डारण/क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र–जे के स्थान पर राज्य क्षेत्रान्तर्गत अभिवहन हेतु e-form "J" का निर्धारण किया गया है।

3– दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से खनिजों के चुगान कार्य प्रारंभ होने के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार खनिजों के चुगान कार्य हेतु ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना) लागू किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कश्ट करें।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव

2–

संख्याः 1578 (1)/VII-1/158–ख/04टीसी–II तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
5. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
6. उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, गढ़वाल एवं कुमायँ परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव